भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 878
दिनांक 07.02.2024 को उत्तर देने के लिए

उन्नत प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के लिए आवश्यक खनिजों को सुरक्षित करना

†878. श्री प्रदीप कुमार सिंह:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या सरकार उन्नत प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के लिए आवश्यक खनिजों को सुरक्षित करने के संबंध में कोई कार्यनीति तैयार करने की योजना बना रही है; और
(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में शुरू किए गए सुधारों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
खान, कोयला एवं संसदीय कार्य मंत्री
(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) एवं (ख): महत्वपूर्ण खनिजों की घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए, केंद्र सरकार ने दिनांक 17.08.2023 से एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2023 के माध्यम से खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन किया है। उक्त संशोधन के माध्यम से, केंद्र सरकार को उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के नए भाग-घ में सूचीबद्ध 24 महत्वपूर्ण खनिजों के लिए विशेष रूप से खनन पट्टे और संयुक्त अनुज्ञप्ति की नीलामी करने का अधिकार दिया गया है।

उक्त संशोधन का उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों के गवेषण और खनन को बढ़ाना और महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना है जो उच्च-तकनीकी इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, परिवहन और रक्षा सहित कई क्षेत्रों की उन्नति के लिए आवश्यक हैं। वे कम उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था में परिवर्तन को ऊर्जा देने और **2070** तक भारत की 'नेट ज़ीरो' प्रतिबद्धता को पूरा करने हेतु अपेक्षित नवीकरणीय प्रौद्योगिकियों के लिए भी महत्वपूर्ण हैं।

महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों की नीलामी से कई प्रमुख लाभ मिलते हैं, जिनमें घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना, आयात निर्भरता को कम करना, स्थायी संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देना, खनन क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना और भारत की औद्योगिक और प्रौद्योगिकीय उन्नति के लिए महत्वपूर्ण प्रमुख उद्योगों का

विकास शामिल है। यह इन खनिजों की एक विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने और 'आत्मनिर्भर भारत' बनाने और वर्धित आर्थिक विकास में योगदान देने की दिशा में एक कदम है।

केंद्र सरकार ने दिनांक **29.11.2023** को महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों के 20 खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी के प्रथम भाग की शुरूआत की है, जिसका उद्देश्य इन खनिजों की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करना है, जिससे आयात पर हमारी निर्भरता कम होगी और अधिक सुरक्षित और लचीली आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित होगी।

केंद्र सरकार द्वारा महत्वपूर्ण खनिजों की नीलामी के अलावा, महत्वपूर्ण और गभीरस्थ खनिजों के गवेषण को और बढ़ावा देने के लिए, 29 महत्वपूर्ण और गभीरस्थ खनिजों के लिए एक नई खनिज रियायत अर्थात गवेषण अनुज्ञप्ति शुरू की गयी है। सतही या थोक खनिजों की तुलना में कोबाल्ट, लिथियम, निकल, सोना, चांदी, तांबा जैसे महत्वपूर्ण और गभीरस्थ खनिजों का गवेषण और खनन करना मुश्किल है। नीलामी के माध्यम से दी गई गवेषण अनुज्ञप्ति अनुज्ञप्तिधारी को एमएमडीआर अधिनियम की नई सम्मिलित सातवीं अनुसूची में उल्लिखित महत्वपूर्ण और गभीरस्थ खनिजों के लिए टोही और पूर्वेक्षण प्रचालन करने की अनुमति देगी।

गवेषण अनुज्ञप्ति का उद्देश्य ऐसा समर्थ तंत्र तैयार करना है जिसमें छोटी-छोटी खनन कंपनियाँ गवेषण डेटा के अधिग्रहण, प्रसंस्करण और व्याख्या में विश्व भर से विशेषज्ञता लाएंगी तथा विशेषज्ञता एवं नवीनतम प्रौद्योगिकियों को अपनाने के माध्यम से गभीरस्थ खनिज निक्षेपों की खोज में जोखिम लेने की क्षमता का लाभ उठाएंगी।

*****